

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: यू.वि.वि. / सम्बद्धता / 02-(लीन) / 2022 / 12580
दिनांक: 30.03.22

सेवा में,

प्रबन्धक,
शिवमंगल महिला महाविद्यालय,
परदहा जमीन परदहा बेलासुल्तानपुर
मऊ।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० सतीश कुमार घर दूबे	रमो बजरंगी घर दूबे	01.01.1973	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

आधार संख्या-972889480468

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अशुद्धादी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,